न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 37/2025 बउनवानी तुलसी देवी **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली
पत्नि हरिमोहन जांगिड निवासी ग्राम व पोस्ट मलारना डूँगर

GCMS No-2025/ 139

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
17.6.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***"नामा0 संख्या 863 दिनांक 6.8.2017 में अपीलान्ट का नाम सही करवाने बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना "*** तहसीलदार बौंली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः 488 दिनांक 17.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.3.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे जरिये पत्रांक 965 दिनांक 26.5.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि प्रार्थीया अपना शुद्व करवाने हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद/अपील पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना के संबंध मे तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:15:07 IST
Reason: SelfAttested